कार्यालय– जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, (दीवानी न्यायालय) जालौन।

पत्रांक – /जिविसेप्रा/2025/मीडियेशन/ज्ञाप, दिनांक– 02.08.2025

कार्यालय ज्ञाप/विज्ञप्ति

मा0 अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार इस जनपद के समस्त सम्मानित विद्वान अधिवक्तागण को सूचित किया जाता है कि माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्रांक– 2862 दि0– 28.10.2021 के अनुसार "उत्तर प्रदेश सिविल प्रकिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली– 2021" प्रभावी हो चुकी है। इस नवीन नियमावली के अन्तर्गत अब नये मध्यस्थों का चयन किया जाना है। आवेदकों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से होगा। चयनित मध्यस्थ की पदावधि 03 वर्ष के लिये होगी। नवीन मध्यस्थों के चयन हेतु जिला बार जालौन में कार्यरत विद्वान अधिवक्तागण से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है :–

मध्यस्थ पद की अर्हता निम्नांकित है :–

1– ऐसे अधिवक्ता जिनके पास न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष वकालत का अनुभव हो एवं स्वच्छ छवि के प्रतिष्ठित अधिवक्ताओं को वरीयता दी जायेगी।

2– सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश।

3– ऐसे वृत्तिक/विशेषज्ञ जिनके पास अपने–अपने क्षेत्रों में कम से कम 15 वर्षों का कार्य अनुभव हो और जो विधि के क्षेत्र से सुपरिचित हों।

उक्त मानक के अन्तर्गत आने वाले स्वच्छ छवि के व्यक्तियों/अधिवक्ताओं से निर्धारित प्रारूप में भरे हुये आवेदन पत्र, 02 पासपोर्ट साइज फोटो, बार काउन्सिल पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं स्वयं का पता लिखा व पंजीकृत डाक टिकट लगे 02 लिफाफे, स्वहस्ताक्षरित समस्त शैक्षिक और अनुभव प्रमाण–पत्रों/सम्बन्धित प्रपत्रों, गाइडलाईन में निर्गत निर्देशों के सम्बन्ध में शपथ पत्र के सहित आवेदन पत्र आमंत्रित हैं। उक्त पदों हेतु आवेदन–पत्र का प्रारूप दिनांक– 05.08.2025 तक किसी भी कार्य–दिवस में इस कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है अथवा डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट जालौन ऐट उरई की वेब साइट **districts.ecourts.gov.in/jalaun** से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन करने वाले व्यक्तियों/अधिवक्ताओं को निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन–पत्र समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालौन, स्थान–उरई के कार्यालय में सीधे/व्यक्तिगत/ रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट से प्रेषित किये जा सकते हैं, जिसकी अन्तिम तिथि दिनांक–05.08.2025 है। आवेदन पत्र दिनांक–05.08.2025 तक सायंकाल 05:00 बजे के पूर्व कार्यालय में प्राप्त हो जायें। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्रों को निरस्त करने एवं चयन के सम्बन्ध में मा0 अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश महोदय का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।

अपर जिला जज/सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जालौन स्थान–उरई

प्रतिलिपिः–

1. मा0 अध्यक्ष/ जनपद न्यायाधीश महोदय को अवलोकनार्थ सादर प्रेषित।
2. अध्यक्ष/सचिव, जिला बार संघ उरई एवं समस्त तहसील बार संघ अन्तर्गत जिला जालौन।
3. जिला सूचना अधिकारी, जालौन को समस्त समाचार–पत्रों में न्यूज–आइटम के रूप में जनहित में निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित।
4. जिला दीवानी न्यायालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कलैक्ट्रेट जालौन एवं जिला अधिवक्ता संघ जालौन के सूचना बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।
5. सिस्टम अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग, जिला न्यायालय, जालौन को उपरोक्त सूचना को जिला दीवानी न्यायालय जालौन की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
6. उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ, को उपरोक्त सूचना "सालसा" की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

अपर जिला जज/सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जालौन स्थान–उरई

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जालौन स्थान – उरई

मध्यस्थ पद हेतु आवेदन

अभ्यर्थी की नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज स्वयं प्रमाणित फोटो

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में).....
2. आवेदक का नाम (अंग्रेजी में).....
3. पिता/पति का नाम.....
4. जन्म तिथि (हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार).....
5. जाति.....वर्ग.....
6. आवेदक का स्थायी पता (पिन कोड सहित).....

.....

.....

7. आवेदक का वर्तमान पता (पिन कोड सहित).....

.....

8. मोबाइल/टेलीफोन नम्बर/ई–मेल आईडी0 (अनिवार्य).....

.....

9. पंजीयन संख्या..... स्वः प्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करें।
10. वकालत का प्रकार– सिविल/आपराधिक/राजस्व/अन्य (टिक लगायें)
11. अन्य क्षेत्र में सेवा करने का प्रमाण–पत्र.....
12. कोई विशेष योग्यता.....
13. अन्य अनुभव.....
14. क्या आपको दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है या विकृतचित का घोषित किया गया है ? हां या नहीं ? (यदि हां तो परिणाम का विवरण)

.....

15. क्या आपके विरूद्ध किसी न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है ? हां/नहीं (यदि हां, तो विवरण).....
16. क्या आपको नैतिक अधमता से अन्तर्वलित अपराध के लिये किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया है ? हां/नहीं (यदि हां, तो विवरण)

.....

17. क्या आपके विरूद्ध अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अनुशासनिक कार्यवाहियां प्रारम्भ की गयी हो या फलवस्वरूप दण्डित किया हो ? हां/नहीं (यदि हां, तो विवरण)

.....

18. क्या आपको उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचित किया गया हैं ? हां/नहीं (यदि हां, तो विवरण).....
19. शैक्षिक योग्यता –

क0सं0	योग्यता	बोर्ड/विश्व विद्यालय/संस्था का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	प्राप्तांक/ कुल अंक	प्रतिशत

दिनांक–
स्थान–

आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर

उदघोषणा पत्र

मैं.....प्रमाणित करता /करती हूं कि उपरोक्त सूचनायें सत्य व सही हैं। कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। मैं स्वैच्छिक रूप से वह समस्त विधिक कार्य करने को तैयार हूं, जो मुझे उक्त पद क दायित्व के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त/सूचित किये जायेंगे।

आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर

शपथ पत्र

में शपथ पत्र पर यह उद्घोषणा करता/करती हूं कि.....

01 मुझे दिवालिया न्यायनिर्णीत नहीं किया गया है ।

02 मुझे विकृतचित का घोषित नहीं किया गया है ।

03 मेरे विरूद्ध किसी न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

04 मुझे नैतिक अधमता से अन्तर्वलित अपराध के लिये किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नहीं ठहराया गया है ।

05 मेरे विरूद्ध अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अनुशासनिक कार्यवाहियां प्रारम्भ नहीं की गयी है और न ही फलस्वरूप दण्डित किया गया है ।

06 मुझे उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया है।

07

आवेदक/शपथकर्ता के हस्ताक्षर